

## कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़ निविदा-सूचना

पत्रांक: 180 /सा0नि0वि0/जि0पं0 /2009-10 दिनांक:- 14-10-2009

जिला पंचायत, आजमगढ़ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि बी0आर0जी0एफ0 योजना की वर्ष 2008-09 का धनराशि से स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों की निविदा फार्म जिला पंचायत कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 28-10-2009 को 5:00 बजे दिन तक प्राप्त की जा सकेगी । निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भर कर दिनांक 29-10-2009 को 2:00 बजे दिन तक निविदा बाक्स में डाले जायेंगे। निविदा उसी तिथि में उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष 4:30 बजे दिन में खोली जायेंगी। निविदा खुलने की तिथि को कोई निविदा फार्म देय नहीं होगा। निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में कम अथवा अधिक प्रतिशत में लिखना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ आयकर विभाग, व्यापारकर विभाग, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निविदादाता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ ठेकेदार द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत 24 माह से कम अवधि का निविदा दाता का चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा के साथ ठेकेदार द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/जिलामजिस्टेट द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियाँ सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि के काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरने एवं टेण्डर देने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा। निविदा के समय निविदा क्रय करते समय अथवा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को ई-मेल रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट <http://upgov.up.nic.in/infotech> से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के खाता संख्या 10954895990 में सीधे जमा किया जायेगा, और धरोहर धनराशि डिटेल निविदा फार्म पर दी जायेगी तथा मूल प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट, डाक द्वारा कार्यालय में भेजा जायेगा। निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि, जिलानिधि, बैंक एफ. डी.आर., पोस्ट ऑफिस में बचत एकाउण्ट अथवा वर्तमान आर्थिक वर्ष का राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र के रूप में जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, आजमगढ़ के पक्ष में बन्धक कर जमा करना अनिवार्य है, जिन निविदाओं के साथ 2% धरोहर धनराशि का उल्लेख नहीं होगा एवं संलग्न नहीं रहेगा, उन पर विचार नहीं किया जायेगा । ठेका स्वीकार होने के पश्चात् यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में 8% जमानत जमा कर अनुबन्ध नहीं लिखा जाता है, तो कार्य की निविदा में 2% जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ठेके/निविदा की विस्तृत जानकारी अभियन्ता जिला पंचायत के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम व प्रकृति	निविदा की धनराशि (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा फार्म का मूल्य (रू0 में)	निविदा फार्म विक्री पर वैट (रू0 में)	अनु0 जाति के लिए आरक्षण	कार्य पूर्ण करने का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ठेकमा	ग्राम खुन्ननपुर में सीसी रोड ।	3.86	0.772	250	25	अनारक्षित	31.01.

								2010
2	ठेकमा	ग्राम सभा देहदुवार तिरहतीपुर में सीसी रोड ।	3.84	0.768	250	25	आरक्षित	31.01.2010
3	ठेकमा	ग्राम सभा बरदह में पिच रोड से हृदयनरायन के घर होते हुए पंडितान तक सीसी रोड ।	1.97	0.394	200	20	आरक्षित	31.01.2010
4	ठेकमा	ग्राम बड़गहन में सी0सी0 रोड ।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
5	ठेकमा	ग्राम बेलहरी हसनपुर में सी0सी0 रोड ।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
6	ठेकमा	ग्राम सभा चौकी में सीसी रोड ।	1.97	0.394	200	20	आरक्षित	31.01.2010
7	ठेकमा	ग्राम सभा भगौतीपुर गोटांव सरहद से ईट भट्टे तक सी0सी0 रोड ।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
8	कोयलसा	वाजिदपुर गुरुप्रसाद मौर्य के दुकान से लोहान के पुर तक सीसी रोड ।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
9	कोयलसा	ग्राम सभा गौरा मदियापार मार्ग से शिवनाथ यादव के घर तक सी0सी0 रोड ।	3.84	0.768	250	25	आरक्षित	31.01.2010
10	कोयलसा	ग्राम सभा भाउपुर में इण्टरलाकिंग ।	3.74	0.748	250	25	आरक्षित	31.01.2010
11	कोयलसा	ग्राम सभा बौड़िया में सी0सी0 रोड ।	3.82	0.764	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
12	महाराजगज	कप्तानगंज अतरौलिया मार्ग से सोनकर बस्ती होते हुए इण्टरलाकिंग कार्य ।	3.8	0.76	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
13	महाराजगज	ग्राम कूबासाथ (संगापुर) पीडब्लू0डी0 सडक से डा0 विजय सिंह के मकान तक सीसी रोड ।	3.74	0.748	250	25	आरक्षित	31.01.2010
14	महाराजगज	ग्राम भीलमपुर छपरा में सरदहा कटान मार्ग तालूक सिंह के नलकूप से शीला यादव के घर तक अवशेष सी0सी0 रोड ।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
15	मार्टिनगंज	ग्राम सिसवारा में सोलिग से सुरेश के घर तक सीसी रोड ।	2.56	0.512	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
16	मार्टिनगंज	ग्राम सुरहन में पिच रोड से शशिकान्त सिंह के घर तक सीसी रोड सीसी रोड ।	2.56	0.512	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
17	मार्टिनगंज	ग्राम चिकसांवा में सीसी रोड ।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
18	मार्टिनगंज	ग्राम दशमडा में पिच रोड से मितई राजभर के घर तक सीसी रोड ।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
19	मार्टिनगंज	मार्टिनगंज अम्बारी मार्ग से कोटिया में रामबोध के घर तक सीसी रोड ।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
20	मार्टिनगंज	ग्राम सभा महुजा नेवादा में सूर्यनाथ यादव स0जि0प0 के घर से सेक्टर रोड तक सी0सी0 रोड ।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
21	मार्टिनगंज	ग्राम सभा सोनहरा में नारद यादव के घर से मन्दिर तक सीसी रोड ।	1.77	0.354	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
22	मार्टिनगंज	ग्राम पुरन्दरपुर प्रा0पा0 से पसियान तक अवशेष भाग तक सीसी रोड ।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
23	मुहम्मदपुर	ग्राम पंचायत अम्बरपुर में अनिल के घर से अनु0बस्ती तक सीसी रोड ।	3.94	0.788	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
24	मुहम्मदपुर	ग्राम पंचायत खालिसपुर मे अनु0बस्ती मे सीसी रोड ।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010

25	मुहम्मदपुर	ग्राम पंचायत अबूसइदपुर में विश्वनाथ के खेत से राजेन्द्र मौर्य के घर तक सीसी ।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
26	मुहम्मदपुर	बिन्द्रा बाजार रूपनरायन के घर के पास पसियाने से सीसी रोड ।	2.76	0.552	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
27	मुहम्मदपुर	ग्राम सभा रानीपुर रज्मों मनीशलाल के घर से बैजनाथ के घर तक नाली निर्माण ।	3.82	0.764	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
28	मुहम्मदपुर	ग्राम सभा गम्भीरपुर लालमुहम्मद के घर के पास से राजू उपा0 के घर तक सीसी रोड ।	3.74	0.748	250	25	आरक्षित	31.01.2010
29	मेहनगर	ग्राम बछवल में अवशेष सीसी रोड	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
30	मेहनगर	ग्राम खरिहानी में लोहार बस्ती से पोखरी तक पर्व में वनी नाली के कवर निर्माण ।	3.75	0.75	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
31	मेहनगर	ग्राम पंचायत चकवारा में कुकरही यादव बस्ती मे सीसी रोड ।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
32	बिलरियागंज	ग्राम सभा अलाऊदीनपट्टी में सीसी रोड निर्माण ।	3.74	0.748	250	25	आरक्षित	31.01.2010
33	बिलरियागंज	ग्राम सभा छीही में रामाश्रय बीडीसी के घर से बाहा तक नाली ।	3.82	0.764	250	25	आरक्षित	31.01.2010
34	बिलरियागंज	बिलरियागंज जीयनपुर मार्ग से कोटिया ग्राम सभा के पूर्व प्रधान के घर तक सीसी रोड ।	3.94	0.788	250	25	आरक्षित	31.01.2010
35	बिलरियागंज	ग्राम सभा लक्ष्मनपुर में पक्की सडक से पासवान बस्ती तक सीसी रोड ।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
36	बिलरियागंज	बिलरियागंज भीमबर मार्ग से काखभार सत्यनरायण यादव के घर तक सीसी रोड ।	2.96	0.592	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
37	बिलरियागंज	पी0 डब्ल0 डी0 रोड से शाहपुर में रहीमबेग के घर तक सी0सी0 रोड ।	2.96	0.592	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
38	बिलरियागंज	मंदुशी पचखोरा मार्ग से दिनेश राय के घर तक सी0सी0 रोड ।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
39	बिलरियागंज	ग्राम सभा जैराजपुर में खुरम आलम नूमानी के घर तक सी0सी0 रोड ।	3.94	0.788	250	25	आरक्षित	31.01.2010
40	मिर्जापुर	ग्राम सभा प्रसादीपट्टी पिच रोड से मीराबाबा के स्थान से जानकी मन्दिर तक सीसी रोड व नाली	2.76	0.552	200	20	आरक्षित	31.01.2010
41	मिर्जापुर	ग्राम सभा दुर्वासा पिच रोड से श्मशान घाट तक सीसी रोड ।	0.99	0.198	100	10	आरक्षित	31.01.2010
42	मिर्जापुर	ग्राम सभा टिकरिया दलित बस्ती में नाली निर्माण ।	3.68	0.736	250	25	आरक्षित	31.01.2010
43	मिर्जापुर	ग्राम सीहीपुर मुस्लिम बस्ती में नाली निर्माण ।	3.68	0.736	250	25	आरक्षित	31.01.2010
44	मिर्जापुर	ग्राम पंचायत खानपुर में दिलराम यादव के घर से गांव तक सीसी रोड ।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
45	हरैया	ग्राम सभा अराजी देवारा नैनीजोर नई बस्ती में सी0सी0 रोड ।	3.94	0.788	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
46	हरैया	ग्राम पंचायत चिलबिलीदानचिलबिली में पिच रोड से पंचायत भवन तक सीसी रोड ।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
47	हरैया	ग्राम सभा रामगढ़ में श्री देवकरन राय एडवोकेट के घर तक सी0सी0 रोड ।	3.74	0.748	250	25	आरक्षित	31.01.2010

48	हरैया	ग्राम बनीपुर पिच रोड से लोहार गड़ेरी एवं कोहार बस्ती होते हुए अच्छेलाल गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
49	पवई	ग्राम पंचायत शाहमर्दानपुर में माहुल पवई रोड से यादव बस्ती तक सीसी रोड।	3.74	0.748	250	25	आरक्षित	31.01.2010
50	पवई	दलित बस्ती हमीरपुर में नाली निर्माण।	3.68	0.736	250	25	आरक्षित	31.01.2010
51	पवई	ग्राम सभा गोधना के बाजार में पक्की नाली निर्माण।	3.53	0.706	250	25	आरक्षित	31.01.2010
52	पल्हनी	ग्राम सभा हीरापट्टी शिवाजी नगर में योगेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड।	3.84	0.768	250	25	आरक्षित	31.01.2010
53	पल्हनी	ग्राम सभा बलरामपुर यादव बस्ती में सी0सी0 रोड।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
54	पल्हनी	ग्राम सभा किसुनदासपुर-2 में इण्टरलाकिंग।	3.94	0.788	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
55	पल्हनी	श्री शंकर जी बालिका विद्यालय उचागँव से श्री घनश्याम सिंह के घर तक सी0सी0 रोड।	3.64	0.728	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
56	पल्हनी	ग्राम सभा घोरठ में उपाध्याय के मकान तक नाली निर्माण।	3.97	0.794	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
57	पल्हनी	भवरनाथ बाईपास से विजौरा नई बस्ती तक इण्टरलाकिंग।	3.95	0.79	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
58	पल्हनी	ग्राम हाफिजपुर में रामकिसुन के नलकूप से विनोद चौहान के घर तक का अवशेष सी0सी0 रोड।	3.94	0.788	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
59	पल्हना	ग्राम सभा पित्थौरपुर उसरी के यादव बस्ती में नाली निर्माण।	3.53	0.706	250	25	आरक्षित	31.01.2010
60	पल्हना	ग्राम सभा बेनपुर मालपार पिच रोड से रामशकल विश्वकर्मा के घर तक सी0सी0।	2.96	0.592	200	20	आरक्षित	31.01.2010
61	पल्हना	ग्राम सभा बासूपुर छोटापूरा हंशराज के घर से नहर की पुलिया तक सी0सी0 रोड।	2.96	0.592	200	20	आरक्षित	31.01.2010
62	पल्हना	ग्राम सभा करसड़ा गांव में सी0सी0 रोड।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
63	रानी की सराय	ग्राम पंचायत मस्जिदिया में सीसी रोड।	2.96	0.592	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
64	रानी की सराय	ग्राम पंचायत फरिहा में सीसी रोड।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
65	रानी की सराय	ग्राम पंचायत डोडोपुर में पिच रोड से महातम मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड।	2.46	0.492	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
66	रानी की सराय	ग्राम सभा कोटवा मुख्य सड़क से त्रिभुवन यादव प्रधान के घर तक सी0सी0 रोड।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
67	रानी की सराय	ग्राम तिलमादपुर में मुख्य मार्ग से राजाराम के घर तक सी0सी0 रोड।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
68	सठियांव	ग्राम सभा दाउदपुर माता लाची देवी विद्यालय से चन्नर यादव के खेत तक नाली निर्माण	1.47	0.294	100	10	अनारक्षित	31.01.2010
69	सठियांव	ग्राम सभा भितरी में डीह के स्थान से इन्द्रजीत के खेत के आगे तक नाली निर्माण।	2.35	0.47	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
70	सठियांव	ग्राम काशीपुर इस्तिखार मास्टर के घर के पास पिच रोड से मस्जिद होकर पुनः पिच रोड तक सी0सी0 रोड।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010

71	सठियांव	ग्राम सभा अमिलो में वसीम के टाल से अब्दुल्ला के कारखाने तक सी0सी0 रोड ।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
72	सठियांव	ग्राम सभा बम्हौर में सी0सी0 रोड का अवशेष भाग ।	3.94	0.788	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
73	फूलपुर	ग्राम ककडाना में रामजी वकील के घर तक नाली निर्माण ।	3.68	0.736	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
74	फूलपुर	ग्राम सभा झकहा में शहीद के भट्टे से रामदुलार के घर तक सी0सी0 रोड ।	3.74	0.748	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
75	फूलपुर	ग्राम विशया में ईदगाह से उमाशंकर यादव के घर तक अवशेष सी0सी0 रोड ।	3.64	0.728	250	25	आरक्षित	31.01.2010
76	तहबरपुर	ग्राम लखमनपुर पट्टी बादलराय में दिनेश के घर से मुख्य सड़क तक सी0सी0 रोड ।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
77	तहबरपुर	ग्राम मेहमौनी राम प्रसाद चौहान के घर से पोखरी तक 400 मी0 नाली व 100 मी0 पटिया निर्माण	3.65	0.73	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
78	तहबरपुर	मेन रोड तहबरपुर कप्तानगंज पर पुलिया से महुवार ग्राम तक सीसी रोड ।	3.64	0.728	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
79	तहबरपुर	मंझारी बाजार बनहरा रोड से बाजार तक अवशेष सी0सी0 रोड ।	3.64	0.728	250	25	आरक्षित	31.01.2010
80	तरवां	प्रा0वि0 धनेहरी रासेपुर सम्पर्क मार्ग पर पी0डब्लू0डी0के बगल में सीसी रोड ।	3.74	0.748	250	25	आरक्षित	31.01.2010
81	तरवां	ग्राम नौरसिया दसवंतपुर में बुडउबाबा के स्थान के सामने बाहा पर पुलिया निर्माण	3.63	0.726	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
82	तरवां	ग्राम बरवा में पककी सड़क के किनारे राजभर बस्ती के पास नाली निर्माण ।	1.47	0.294	100	10	अनारक्षित	31.01.2010
83	तरवां	ग्राम डंडवल सिंकरिया में पककी सड़क से राजबली राम के घ्जार तक सी0सी0 रोड ।	2.46	0.492	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
84	तरवां	ग्राम दरियापुर नेवादा गांगी नदी के पुल के उत्तर तरफ बाजार तक अवशेष सी0सी0 ।	3.94	0.788	250	25	आरक्षित	31.01.2010
85	जहानागंज	पककी सड़क से प्रतापपुर अनु0बस्ती दक्षिण तरफ सी0सी0 रोड निर्माण कार्य ।	2.96	0.592	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
86	जहानागंज	पिच रोड से सुरेश पासवान बीडीसी के घर तक सी0 सी0 रोड ।	2.96	0.592	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
87	जहानागंज	ग्राम सभा नेतपुर हरि0बस्ती मे लल्लन राम के घर से नहर तक नाली कार्य ।	1.84	0.368	200	20	आरक्षित	31.01.2010
88	जहानागंज	ग्राम सभा टिसौरा हरि0बस्ती मे सीसी रोड ।	1.97	0.394	200	20	आरक्षित	31.01.2010
89	जहानागंज	ग्राम कादीपुर कोल्हूखोर में पक्का नाला निर्माण ।	0.74	0.148	100	10	आरक्षित	31.01.2010
90	जहानागंज	ग्राम धरवारा में धरछा पर पक्का पुल निर्माण ।	2.9	0.58	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
91	अहरौला	सोफीपुर बसही मार्ग से जंगी यादव के नलकूप तक सी0सी0 रोड ।	3.84	0.768	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
92	अहरौला	ग्राम सभा सिपाह में अम्बेडकर रोड से सुरेश मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड ।	3.55	0.71	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
93	अहरौला	ग्राम समसाबाद बाजार के दक्षिण पुलिया तक नाली निर्माण ।	3.82	0.764	250	25	अनारक्षित	31.01.2010

94	अहरौला	ग्राम पंचायत अजगरा में पिच रोड से सन्तराम दलित के घर तक इण्टरलाकिंग।	3.8	0.76	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
95	अतरौलिया	ग्राम सभा तेजापुर में इण्टर लाकिंग रोड।	3.55	0.71	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
96	अतरौलिया	अतरौलिया अहरौला मार्ग से जियालाल यादव के चक तक नाली निर्माण।	3.9	0.78	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
97	अजमतगढ़	ग्राम सभा सेठारी में सीसी रोड व नाली निर्माण।	3.74	0.348	250	25	आरक्षित	31.01.2010
98	अजमतगढ़	ग्राम बैरीडीह में पिच रोड से पिपरी तक सी0 सी0 रोड।	3.55	0.71	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
99	अजमतगढ़	ग्राम सभा मालटारी में सी0 सी0 रोड।	3.74	0.348	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
100	अजमतगढ़	ग्राम सभा बेरमा में रविदास मंदिर से पूरब अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग।	3.55	0.71	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
101	लालगंज	ग्राम पंचायत फकरुद्दीनपुर में लालबहादुर सिंह के स्कूल से रामजनम सिंह के घर तक सी0 सी0 रोड।	2.96	0.592	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
102	लालगंज	ग्राम सभा दौना जेहत नन्दपुर में प्रा0वि0 से नान्हक यादव के घर तक सी0 सी0 रोड।	1.58	0.316	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
103	लालगंज	ग्राम कलीचाबाद में रमाकान्त दूबे के मकान से रामलीला मैदान की तरफ सी0सी0 रोड।	3.74	0.348	250	25	आरक्षित	31.01.2010
104	लालगंज	ग्राम व्यवहरा में जयसिंहपुर दलित बस्ती में राजकुमार के घर से नदी तक नाला निर्माण।	3.53	0.706	250	25	आरक्षित	31.01.2010
105	लालगंज	ग्राम सभा भुडकी में रजिन्दर यादव के घर से लालता यादव के घर तक सी0सी0 रोड।	2.46	0.492	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
106	लालगंज	ग्राम सभा मिर्जापुर में नहर पुल से शिब्ली खां के घर तक सी0 सी0 रोड।	1.97	0.394	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
107	पवई	ग्राम सभा बाग बहार में रामबलम यादव के घर से होते हुए पिच रोड तक सी0सी0 रोड।	3.88	0.776	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
108	अजमतगढ़	अजमतगढ़ नदवा सराय मार्ग से खपरेला तक सी0सी0 रोड।	3.9	0.78	250	25	आरक्षित	31.01.2010

(तेजभान सिंह)  
अभियन्ता,  
जिला पंचायत, आजमगढ़

(वी0 एस0 कुशावाहा)  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, आजमगढ़

(हवलदार यादव)  
अध्यक्ष  
जिला पंचायत, आजमगढ़

# जिला पंचायत, आजमगढ़ निविदा फार्म क्रमांक

निविदा प्रपत्र संख्या नि0 का0 - 3

(नियम 23 देखिये)

(प्रमुख सचिव पंचायती राज के कार्यकारी आदेश संख्या 5748/33-2-2006-190 जी0/2006 दिनांक 17-11-2006 द्वारा संशोधित)

## ठेकेदारों के लिये प्रतिषत दर टेंडर की मद

निर्माण कार्य का नाम : .....

ठेकेदार का नाम : .....

### ठेकेदारों के पथ प्रदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

1. ठेके द्वारा निस्पादन के लिए प्रस्तावित सभी निर्माण-कार्य टेंडर आमंत्रित करने के रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट पर चिपकाये जायेंगे जिस पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

इस प्रपत्र में किये जाने वाले निर्माण-कार्य का वर्णन और टेंडर प्रस्तुत करने और खुलने का दिनांक और निर्माण-कार्य सम्पादित करने लिये अनुमत समय, टेंडर के साथ जमा की जाने वाली बयाने की धनराशि और सफल टेंडर देने वाले द्वारा जमा की जानेवाली प्रतिभूति, और बिलोंसेकाटा जाने वाला प्रतिषत यदि कोई हो, दिया जायेगा। इस ठेका लेख्य के सेट में प्रस्तावित निर्माण-कार्य की ड्राइंग और ब्यौरा, विषिष्टियां, निर्माण- कार्यों के विभिन्न मदों के परिमाणों की अनुसूची और प्रयुक्त किये जाने वाले टेंडर के, जिस पर मुख्य अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पहचान के लिये हस्ताक्षर किया जायेगा, प्रपत्र के साथ मुद्रित ठेका शर्तों का प्रपत्र होगा और उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा जो ठेका देने के लिए सक्षम हो और वह मुख्य अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में, कार्यालय समय में जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।
2. यदि टेंडर किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाय तो इस पर फर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षर अवष्य किया जाना चाहिए या किसी भागीदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस पर हस्ताक्षर करने के लिये मुख्तारनाम का अधिकार हो इस पर हस्ताक्षर अवष्य किया जाना चाहिए।
3. किसी ऐसे निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में, जब किसी फर्म द्वारा वह निस्पादित किया जाय, किये गये भुगतान के लिए रसीद पर विभिन्न भागीदारों द्वारा अवष्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, सिवाय जब टेंडर में ठेकेदार फर्म के रूप में वर्णित किये गये हो उस दशा में रसीदों पर फर्म के लाभ में किसी एक भागीदार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें फर्म के लिए प्रभावी रसीद देने का अधिकार हो, अवष्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
4. कोई ठेकेदार जो टेंडर प्रस्तुत करता है टेंडर का नियम प्रपत्र भरेगा और वह प्रपत्र के पृष्ठ 3 पर वैकल्पिक प्रस्ताव को जो उस मामले पर लागू न हो काट देगा। ऐसे टेंडर जिनमें टेंडर आमंत्रित करने की सूचना के प्रपत्र में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्यया ऐसा निर्माण कार्य करने के लिए अनुमत समय में या जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्तें हो, उसमें कोई परिवर्तन करना हो या अंग्रजी में भरे गये हों या उसके साथ विज्ञापित बयाने की धनराशि जमा न की गयी हो, अस्वीकार कर दिये जायेंगे। टेंडरों पर लिफाफे के बाहर उस निर्माण-कार्य का नाम जिसके संबन्ध में वे हों, लिखा जायेगा।
5. मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत सहायक किन्ही इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में जो उस समय उपस्ति हों, टेंडर खोलेंगे और विभिन्न टेंडरों की धनराशि एक उपयुक्त प्रपत्र में, एक तुलनात्मक विवरण पत्र में दर्ज करेगा। टेंडर स्वीकर कर लिये जाने की दशा में, उसके साथ भेजे गये बयाने की धनराशि के लिये तदुपरान्त ठेकेदार को एक रसीद दी जायेगी, जो तदुपरान्त पहचान के लिये पैरा 1 में उल्लिखित विषिष्टियों और अन्य लेख्यों की प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर करेगा। टेंडर अस्वीकार कर दिये जाने की दशा में, ऐसे अस्वीकार किये गये टेंडर के साथ भेजी गयी बयाने की धनराशि तदुपरान्त ठेकेदार को लौटा दी जायेगी।
6. स्वीकृति प्राधिकारी को सभी या किसी टेंडर को बिना कारण बतायें अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
7. ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी बयाने की धनराशि के लिये किसी लेखाकार या लिपिक की रसीद, मुख्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी को भुगतान करने की अस्वीकृति के रूप में नहीं मानी जायेगी और ठेकेदार इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उसे मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद मिल जाय।
8. टेंडर प्रपत्र जारी किये जाने के पूर्व ऐसे निर्माण-कार्य का ज्ञापन जिसके लिए टेंडर अमंत्रित किया गया हो मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में भरा/भेजा जायेगा।
9. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि आयकर विभाग, व्यापारकर विभाग, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निविदादाता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न कर दिया जाय।
10. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत 6 माह से कम अवधि का निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाय।
11. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाय।
12. जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि के काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरने एवं ठेकेदार देने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा।
13. एक ठेकेदार द्वारा एक साल्वेन्सी सर्टीफिकेट एक ही विभाग में प्रयोग की जायेगी। कुछ साल्वेन्सी सर्टीफिकेट का बैंक एवं आयकर विभाग से भी सत्यापन कराये जायेंगे और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत अर्थिक स्थिति/साल्वेन्सी सर्टीफिकेट प्रस्तुत किया जाना पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

14. किसी भी अधिवक्ता को जो राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत हो, जिला पंचायत के कार्यों को करने का ठेका अथवा पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
15. जब कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा संभावित निविदाकर्ताओं को धमकी दी गयी है अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर पुनः निविदा माँगने की व्यवस्था की जायेगी।
16. किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओं नोटिस अवश्य दी जायेगी।
17. निविदा के समय निविदा क्रय करते समय अथवा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को ई-मेल, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट <http://upgov.up.nic.in/infotech> से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के खाता संख्या 10954895990 में सीधे जमा किया जायेगा और उसकी डिटेल निविदा फार्म पर दी जायेगी। निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व प्राप्त निविदा फार्मों बयाने की धनराशि (धरोहर धनराशि की मूल प्रति) पर ही विचार किया जायेगा।

#### निर्माण-कार्य के लिए टेण्डर

मैं/हम एतद् द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत/प्रमुख, क्षेत्र समिति के निमित्त निम्नलिखित ज्ञापन पत्र में उल्लिखित निर्माण कार्य का, ऐसेज्ञापन पत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसमें उल्लिखित दरों पर इसके पैरा 1 और ठेका की शर्तों के खण्ड 2 में निर्दिष्ट विषिष्टियों, डिजाइन ड्राइंग और लिखित अनुदेष्टों के अनुसार और सभी प्रकार से और ऐसी सामाग्री से जिनकी वयवसी की गयी हो और ऐसी शर्तों के अनुसार जहाँ तक प्रयोज्य हों सभी अन्य प्रकार से निस्पादित करने के लिए टेण्डर देता हूँ / देते हैं।

#### ज्ञापन-पत्र

(क) सामान्य ब्योरा- यदि अनेक उप निर्माण-कार्य सम्मिलित किये जाये तो उन्हें एक पृथक सूची में ब्योरवार देना चाहिए।

(ख) अनुमानित लागत पृष्ठ पर पैरा के अनुसार रुपया (ग) बयाने की धनराशि

निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने के लिखित आदेश के दिनांक से कार्य के लिए अनुमत समय----- मास-----

क्रमांक	मद संख्या	निर्माण कार्य की मद	लगभग संख्या या परिमाण	इकाई	टेण्डर दर अंकों में	टेण्डर दर शब्दों में	स्वीकृत दर अंकों में	स्वीकृत दर शब्दों में
---------	-----------	---------------------	-----------------------	------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

स्वीकृत अनुमानों में दर्ज दरों से (----- ) अधिक / कम प्रतिषत पर टेण्डर देता हूँ/देते हैं। या

उपर्युक्त दरों पर टेण्डर देता हूँ/देते हैं।

यदि यह टेण्डर स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुमोदित ठेका लेख्यों के सेट से संलग्न ठेका की सभी शर्तों और उसके उपबन्धों का पालन करने और उन्हें पूरा करने या उससे ब्यतिक्रम करने पर अध्यक्ष, जिला पंचायत/प्रमुख, क्षेत्र समितियाँ उस पद में उत्तरवर्तियों के प्रति उक्त शर्तों में उल्लिखित धनराशि समपहृत करने और भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

इसके साथ बयाने की धनराशि के रूप में करेन्सी नोट्स में -----रुपये का धनराशि भेजी जाती है, जिसका पूरा मूल्य ठेका की शर्तों के खण्ड -1 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति जमा के कारण बना रहेगा।

दिनांक ----- 2006 टेण्डर फार्म मूल्य जमा की रसीद संख्या व दिनांक-----

सक्षी----- टेण्डर फार्म मूल्य जमा का प्रकार -----

पता----- उपजीविका-----

जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत की ओर से एतद् द्वारा उपर्युक्त टेण्डर मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पद नाम-----दिनांक-----2006

मैं या हम विकल्प को काट दीजिये और वहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिये।

यहाँ पर ब्योरा और संख्या दीजिये।

टेण्डर प्रस्तुत करने के पूर्व ठेकेदार का हस्ताक्षर ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर के प्रतिसाक्षी का हस्ताक्षर ।

यहाँ पर "षिफारिष नहीं किया गया है" दर्ज कीजिये और हस्ताक्षर कर दीजिए।

(2)

# कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़

पत्रांक: 181 /सा0 नि0 वि0/जि0 पं0 /2009-10 दिनांक:- 14-10-2009।

## निविदा-सूचना

जिला पंचायत, आजमगढ़ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि 12 वॉ वित्त आयोग योजना/राज्य वित्त योजना की वर्ष 2009-10 का धनराशि से स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों की निविदा फार्म जिला पंचायत कार्यालय के विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 27-10-2009 को 2:00 बजे दिन तक प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भर कर दिनांक 27-10-2009 को 2:00 बजे दिन तक निविदा बाक्स में डाले जायेंगे। निविदा उसी तिथि में उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष 4:30 बजे दिन में खोली जायेंगी। निविदा खुलने की तिथि को कोई निविदा फार्म देय नहीं होगा। निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में कम अथवा अधिक प्रतिशत में लिखना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ आयकर विभाग, व्यापारकर विभाग, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निविदादाता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ ठेकेदार द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत 6 माह से कम अवधि का निविदा दाता का चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा के साथ ठेकेदार द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/जिलामजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि के काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरने एवं टेण्डर देने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा। निविदा के समय निविदा क्रय करते समय अथवा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को ई-मेल रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट <http://upgov.up.nic.in/infotech> से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के खाता संख्या 10954895990 में सीधे जमा किया जायेगा और धरोहर धनराशि डिटेल निविदा फार्म पर दी जायेगी तथा मूल प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट, डाक द्वारा कार्यालय में भेजा जायेगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि, जिलानिधि, बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस में बचत एकाउण्ट अथवा वर्तमान आर्थिक वर्ष का राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र के रूप में जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, आजमगढ़ के पक्ष में बन्धक कर जमा करना अनिवार्य है, जिन निविदाओं के साथ 2% धरोहर धनराशि का उल्लेख नहीं होगा एवं संलग्न नहीं रहेगा, उन पर विचार नहीं किया जायेगा। ठेका स्वीकार होने के पश्चात् यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में 8% जमानत जमा कर अनुबन्ध नहीं लिखा जाता है, तो कार्य की निविदा में 2% जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ठेके/निविदा की विस्तृत जानकारी अभियन्ता जिला पंचायत के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम व प्रकृति	निविदा की धनराशि (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा फार्म का मूल्य (रू0 में)	निविदा फार्म विक्री पर वैट (रू0 में)	अनु0 जाति के लिए आरक्षण	कार्य पूर्ण करने का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पल्हनी	आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग से इसहाकपुर तक 700 मी0 लेपन कार्य	9.00	0.180	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
2	पल्हनी	श्रानीपुर मुन्ना सिंह के घर से रमाकान्त के भट्टा होते हुए अन्तिम सरहद तक अनुरक्षण कार्य 1200 मी0	9.00	0.180	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
3	बिलरियागंज	हरखपुर से तोफापुर स्कूल तक लेपन अनुरक्षण कार्य 1200 मीटर	9.00	0.180	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
4	बिलरियागंज	आजमगढ़ जैराजपुर मार्ग से शाहपुर सीसी रोड 300 मीटर	5.40	0.108	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
5	बिलरियागंज	मिरिया फरेन्दा मार्ग से मिरिया गांव मे सीसी रोड 300 मीटर	5.40	0.108	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
6	तहवरपुर	पठखौली ग्राम मे अरविन्द पाठक के घर तक 350 मी0 सीसी रोड	7.00	0.140	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
7	पल्हनी	ग्राम चकिया मे राजदेव चौहान के घर से खडन्जे तक 350 मी0 सीसी रोड	7.00	0.140	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
8	जहानागंज	ग्राम सेवटा मे अवशेष सीसी कार्य	4.00	0.080	250	25	आरक्षित	31.01.2010

9	पल्हनी	लीलापुर पोखरी के सामने से धोबी बस्ती सम्पर्क मार्ग 500 मीटर	7.00	0.140	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
10	कोयलसा	आजमगढ फैजाबाद मार्ग से लहरपार गांव तक लेपन मरम्मत कार्य 600 मी०	5.00	0.100	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
11	बिलरियागंज	ग्राम सभा गुलवा के समीप अहमद के घर से शारदा सहायक नहर पर 5.00 मी० स्पान की पुलिया।	7.50	0.150	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
12	तरवां	ग्राम लालमऊ मे नहर से सन्तोषी माता के मन्दिर होते हुए मौर्या बस्ती तक सीसी रोड 400 मी०	8.00	0.160	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
13	तरवां	ग्राम जमीन सकत से मोकलपुर से पीरू यादव के घर तक मिटटी खडन्जा कार्य 500 मी०	5.00	0.100	250	25	आरक्षित	31.01.2010
14	मार्टिनगंज	बन्धवा जमुहाई मार्ग की मरम्मत 0 से 2.00 किमी० ।	10.00	0.200	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
15	मार्टिनगंज	बरौना बाजार मे सीसी रोड 200 मी०	4.00	0.080	250	25	आरक्षित	31.01.2010
16	अजमतगढ	दोहरी आजमगढ जमीन हरखोरी मार्ग का अवशेष भाग अनुरक्षण/लेपन , 1 किमी०	9.00	0.180	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
17	मेहनगर	छतवारा मेहनगर मार्ग से शाहखजुरा गांव तक 750 मी० अनुरक्षण कार्य	5.00	0.100	250	25	आरक्षित	31.01.2010
18	कोयलसा	वाजिदपुर बरूआ बाबा के स्थान से 1 किमी० रिपेरिंग कार्य।	7.00	0.140	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
19	कोयलसा	वाजिदपुर दुर्गी पर 1 पुलिया एप्रोच कार्य।	7.00	0.140	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
20	कोयलसा	देवरिया मेन पिच से उमाराम के घर तक 500 मी० सीसी रोड	7.00	0.140	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
21	बिलरियागंज	भावापुर से पटवध तक 1200 मी० लेपन अनुरक्षण कार्य	10.00	0.200	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
22	बिलरियागंज	बिन्दवल जैगहा मार्ग से पांती बुजुर्ग मुस्लिम बस्ती होते हुए दलित बस्ती तक 1 किमी० पेंटिंग मार्ग व 2 पुलिया	10.00	0.200	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
23	बिलरियागंज	ग्राम पंचायत जोलहापुर मे ब्रम्हण बस्ती मे रविशंकर तिवारी के घर तक सीसी रोड 300 मी०	6.00	0.120	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
24	बिलरियागंज	ग्राम पंचायत पचखोरा मे जयकरन के घर से जितेन्द्र राय के घर तक 100 मी० सीसी रोड	2.00	0.040	200	20	आरक्षित	31.01.2010
25	पल्हनी	खोजापुर से मतौलीपुर तक लेपन मरम्मत कार्य 1500 मी०	9.000	0.180	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
26	तहबरपुर	रानीपुर से टढनी तक 2100 मी० लेपन मरम्मत कार्य	9.900	0.198	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
27	पल्हनी	विकास खण्ड पल्हनी मे लीलापुर तक 400 मी० नाली	9.000	0.180	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
27 A	मिर्जापुर	ग्राम पंचायत रसुलपुर में पुलिया निर्माण।	3.00	0.060	200	20	आरक्षित	31.01.2010
28	अहरौला	ग्राम माहुल बाजार मे दुकान का निर्माण 7 नं० पार्ट ए	9.200	0.184	300	30	अनारक्षित	31.01.2010

29	अहरौला	ग्राम माहुल बाजार मे दुकान का निर्माण 6 नं0 एवं सीढी पार्ट बी 2	9.770	0.195	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
30	अहरौला	ग्राम माहुल बाजार मे दुकान का निर्माण 6 नं0 एवं गेट पार्ट सी	9.000	0.180	206	20.6	अनारक्षित	31.01.2010
31	अहरौला	ग्राम माहुल बाजार मे दुकान का निर्माण 7 नं0 पार्ट डी	9.200	0.184	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
32	अहरौला	ग्राम माहुल बाजार मे दुकान का निर्माण 6 नं0 दुकान एवं सीढी निर्माण पार्ट ई	9.770	0.195	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
33	अजमतगढ़	क्रिम इण्टर कालेज मुहम्मदपुर से स्व0 राजेश शर्मा के घर तक पटरी मरम्मत।	1.000	0.020	100	10	आरक्षित	31.01.2010
34	ठेकमा	श्री झांगूर ग्रामीण बालिका इण्टर कालेज बडगहन बाउन्ड्री	9.770	0.195	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
35	अजमतगढ़	लाटघाट नरहन मार्ग पर किमी0 1 से बिक्रम इण्टर कालेज मोहमदपुर तक सी0सी0 रोड 400 मी0	8.000	0.160	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
36	मार्टिनगंज	औरंगाबाद माइनर बस्ती कपूरी यादव बस्ती।	6.000	0.120	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
37	पल्हना	रानीपुर से बसेवरा लेपन कार्य।	6.000	0.120	300	30	अनारक्षित	31.01.2010
38	बिलरियागंज	पडरी परानपुर मे हरि0 प्रा0पा0 की बाउन्ड्री	5.000	0.100	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
39	अजमतगढ़	रजादेपुर हरैया मार्ग से बारीपुर गांव मे सीसी रोड	5.000	0.100	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
40	तरवां	ग्राम बनगांव मे सर्वेश्वरी उ0मा0वि0 की बाउन्ड्री	2.000	0.040	200	20	अनारक्षित	31.01.2010
41	मिर्जापुर	ग्राम सभा खानपुर मे स्कूल का बाउन्ड्रीवाल	5.000	0.100	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
42	मुख्यालय	जिला पंचायत की आवासीय परिसर की बाउन्ड्रीवाल मरम्मत	5.000	0.100	250	25	अनारक्षित	31.01.2010
43	मुख्यालय	जिला पंचायत किराये की भवन मरम्मत	5.000	0.100	250	25	आरक्षित	31.01.2010
44	मुख्यालय	आवासीय परिसर मे भवन मरम्मत	5.000	0.100	250	25	आरक्षित	31.01.2010
45	लालगंज	ग्राम पंचायत ब्यवहरा में सी0सी0 रोड।	3.880	0.078	250	25	आरक्षित	31.01.2010

(तेजभान सिंह)  
अभियन्ता  
जिला पंचायत, आजमगढ़

(वी0एस0 कुशवाहा)  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, आजमगढ़

(हवलदार यादव)  
अध्यक्ष  
जिला पंचायत, आजमगढ़

# जिला पंचायत, आजमगढ़ निविदा फार्म क्रमांक

निविदा प्रपत्र संख्या नि0 का0 - 3

(नियम 23 देखिये)

(प्रमुख सचिव पंचायती राज के कार्यकारी आदेश संख्या 5748/33-2-2006-190 जी0/2006 दिनांक 17-11-2006 द्वारा संशोधित)

## ठेकेदारों के लिये प्रतिषत दर टेंडर की मद

निर्माण कार्य का नाम : .....

ठेकेदार का नाम : .....

### ठेकेदारों के पथ प्रदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

1. ठेके द्वारा निस्पादन के लिए प्रस्तावित सभी निर्माण-कार्य टेंडर आमंत्रित करने के रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट पर चिपकाये जायेंगे जिस पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

इस प्रपत्र में किये जाने वाले निर्माण-कार्य का वर्णन और टेंडर प्रस्तुत करने और खुलने का दिनांक और निर्माण-कार्य सम्पादित करने लिये अनुमत समय, टेंडर के साथ जमा की जाने वाली बयाने की धनराशि और सफल टेंडर देने वाले द्वारा जमा की जानेवाली प्रतिभूति, और बिलोंसेकाटा जाने वाला प्रतिषत यदि कोई हो, दिया जायेगा। इस ठेका लेख्य के सेट में प्रस्तावित निर्माण-कार्य की ड्राइंग और ब्यौरा, विषिष्टियां, निर्माण- कार्यों के विभिन्न मदों के परिमाणों की अनुसूची और प्रयुक्त किये जाने वाले टेंडर के, जिस पर मुख्य अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पहचान के लिये हस्ताक्षर किया जायेगा, प्रपत्र के साथ मुद्रित ठेका शर्तों का प्रपत्र होगा और उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा जो ठेका देने के लिए सक्षम हो और वह मुख्य अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में, कार्यालय समय में जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।
2. यदि टेंडर किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाय तो इस पर फर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षर अवष्य किया जाना चाहिए या किसी भागीदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस पर हस्ताक्षर करने के लिये मुख्तारनाम का अधिकार हो इस पर हस्ताक्षर अवष्य किया जाना चाहिए।
3. किसी ऐसे निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में, जब किसी फर्म द्वारा वह निस्पादित किया जाय, किये गये भुगतान के लिए रसीद पर विभिन्न भागीदारों द्वारा अवष्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, सिवाय जब टेंडर में ठेकेदार फर्म के रूप में वर्णित किये गये हो उस दशा में रसीदों पर फर्म के लाभ में किसी एक भागीदार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें फर्म के लिए प्रभावी रसीद देने का अधिकार हो, अवष्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
4. कोई ठेकेदार जो टेंडर प्रस्तुत करता है टेंडर का नियम प्रपत्र भरेगा और वह प्रपत्र के पृष्ठ 3 पर वैकल्पिक प्रस्ताव को जो उस मामले पर लागू न हो काट देगा। ऐसे टेंडर जिनमें टेंडर आमंत्रित करने की सूचना के प्रपत्र में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्यया ऐसा निर्माण कार्य करने के लिए अनुमत समय में या जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्तें हो, उसमें कोई परिवर्तन करना हो या अंग्रजी में भरे गये हों या उसके साथ विज्ञापित बयाने की धनराशि जमा न की गयी हो, अस्वीकार कर दिये जायेंगे। टेंडरों पर लिफाफे के बाहर उस निर्माण-कार्य का नाम जिसके संबन्ध में वे हों, लिखा जायेगा।
5. मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत सहायक किन्ही इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में जो उस समय उपस्ति हों, टेंडर खोलेंगे और विभिन्न टेंडरों की धनराशि एक उपयुक्त प्रपत्र में, एक तुलनात्मक विवरण पत्र में दर्ज करेगा। टेंडर स्वीकर कर लिये जाने की दशा में, उसके साथ भेजे गये बयाने की धनराशि के लिये तदुपरान्त ठेकेदार को एक रसीद दी जायेगी, जो तदुपरान्त पहचान के लिये पैरा 1 में उल्लिखित विषिष्टियों और अन्य लेख्यों की प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर करेगा। टेंडर अस्वीकार कर दिये जाने की दशा में, ऐसे अस्वीकार किये गये टेंडर के साथ भेजी गयी बयाने की धनराशि तदुपरान्त ठेकेदार को लौटा दी जायेगी।
6. स्वीकृति प्राधिकारी को सभी या किसी टेंडर को बिना कारण बतायें अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
7. ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी बयाने की धनराशि के लिये किसी लेखाकार या लिपिक की रसीद, मुख्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी को भुगतान करने की अस्वीकृति के रूप में नहीं मानी जायेगी और ठेकेदार इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उसे मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद मिल जाय।
8. टेंडर प्रपत्र जारी किये जाने के पूर्व ऐसे निर्माण-कार्य का ज्ञापन जिसके लिए टेंडर अमंत्रित किया गया हो मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में भरा/भेजा जायेगा।
9. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि आयकर विभाग, व्यापारकर विभाग, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निविदादाता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न कर दिया जाय।
10. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत 6 माह से कम अवधि का निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाय।
11. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाय।
12. जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि के काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरने एवं ठेकेदार देने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा।
13. एक ठेकेदार द्वारा एक साल्वेन्सी सर्टीफिकेट एक ही विभाग में प्रयोग की जायेगी। कुछ साल्वेन्सी सर्टीफिकेट का बैंक एवं आयकर विभाग से भी सत्यापन कराये जायेंगे और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत अर्थिक स्थिति/साल्वेन्सी सर्टीफिकेट प्रस्तुत किया जाना पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

21. किसी भी अधिवक्ता को जो राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत हो, जिला पंचायत के कार्यों को करने का ठेका अथवा पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
22. जब कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा संभावित निविदाकर्ताओं को धमकी दी गयी है अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर पुनः निविदा माँगने की व्यवस्था की जायेगी।
23. किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओं नोटिस अवश्य दी जायेगी।
24. निविदा के समय निविदा क्रय करते समय अथवा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को ई-मेल, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट <http://upgov.up.nic.in/infotech> से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के खाता संख्या 10954895990 में सीधे जमा किया जायेगा और उसकी डिटेल निविदा फार्म पर दी जायेगी। निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व प्राप्त निविदा फार्मों बयाने की धनराशि (धरोहर धनराशि की मूल प्रति) पर ही विचार किया जायेगा।

#### **निर्माण-कार्य के लिए टेण्डर**

मैं/हम एतद् द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत/प्रमुख, क्षेत्र समिति के निमित्त निम्नलिखित ज्ञापन पत्र में उल्लिखित निर्माण कार्य का, ऐसेज्ञापन पत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसमें उल्लिखित दरों पर इसके पैरा 1 और ठेका की शर्तों के खण्ड 2 में निर्दिष्ट विषिष्टियों, डिजाइन ड्राइंग और लिखित अनुदेष्टों के अनुसार और सभी प्रकार से और ऐसी सामाग्री से जिनकी वयवसी की गयी हो और ऐसी शर्तों के अनुसार जहाँ तक प्रयोज्य हों सभी अन्य प्रकार से निस्पादित करने के लिए टेण्डर देता हूँ / देते हैं।

#### **ज्ञापन-पत्र**

(क) सामान्य ब्योरा- यदि अनेक उप निर्माण-कार्य सम्मिलित किये जाये तो उन्हें एक पृथक सूची में ब्योरवार देना चाहिए।

(ख) अनुमानित लागत पृष्ठ पर पैरा के अनुसार रुपया (ग) बयाने की धनराशि

निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने के लिखित आदेश के दिनांक से कार्य के लिए अनुमत समय----- मास-----

क्रमांक	मद संख्या	निर्माण कार्य की मद	लगभग संख्या या परिमाण	इकाई	टेण्डर दर अंकों में	टेण्डर दर शब्दों में	स्वीकृत दर अंकों में	स्वीकृत दर शब्दों में
---------	-----------	---------------------	-----------------------	------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

स्वीकृत अनुमानों में दर्ज दरों से (----- ) अधिक / कम प्रतिषत पर टेण्डर देता हूँ/देते हैं। या

उपर्युक्त दरों पर टेण्डर देता हूँ/देते हैं।

यदि यह टेण्डर स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुमोदित ठेका लेख्यों के सेट से संलग्न ठेका की सभी शर्तों और उसके उपबन्धों का पालन करने और उन्हें पूरा करने या उससे ब्यतिक्रम करने पर अध्यक्ष, जिला पंचायत/प्रमुख, क्षेत्र समितियाँ उस पद में उत्तरवर्तियों के प्रति उक्त शर्तों में उल्लिखित धनराशि समपहृत करने और भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

इसके साथ बयाने की धनराशि के रूप में करेन्सी नोट्स में -----रुपये का धनराशि भेजी जाती है, जिसका पूरा मूल्य ठेका की शर्तों के खण्ड -1 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति जमा के कारण बना रहेगा।

दिनांक ----- 2006 टेण्डर फार्म मूल्य जमा की रसीद संख्या व दिनांक-----

सक्षी----- टेण्डर फार्म मूल्य जमा का प्रकार -----

पता----- उपजीविका-----

जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत की ओर से एतद् द्वारा उपर्युक्त टेण्डर मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पद नाम-----दिनांक-----2006

मैं या हम विकल्प को काट दीजिये और वहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिये।

यहाँ पर ब्योरा और संख्या दीजिये।

टेण्डर प्रस्तुत करने के पूर्व ठेकेदार का हस्ताक्षर ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर के प्रतिसाक्षी का हस्ताक्षर ।

यहाँ पर "षिफारिष नहीं किया गया है" दर्ज कीजिये और हस्ताक्षर कर दीजिए।